संख्या-20/2023/774(1)/2251194/12-5002(099)/16/2022

प्रेषक,

राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 28 फरवरी, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, 101- मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण, 03-मृदा सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम योजना हेतु पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू0सं0 लेखा/पुनर्विनियोग/2022-23/385-डी, दिनांक 04-11-2022 एवं पत्र संख्या-भू0सं0 लेखा/पुनर्विनियोग/2022-23/508-डी, दिनांक 11-01-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, 101- मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण, 03-मृदा सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम योजना के मानक मद-01-वेतन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 19570.00 लाख के सापेक्ष हो रही बचत से प्रश्नगत योजनान्तर्गत उसी अनुदान एवं लेखाशीर्षक के अन्तर्गत मानक मद-49 चिकित्सा व्यय में रू0 188.50 लाख (रूपये एक करोड़ अट्ठासी लाख पचास हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों :

1. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. योजनान्तर्गत जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
3. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
4. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

6. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454 /दस-2022- 231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20222023-774-2251194-12-5002-099-16-2022

विषयः- अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, 101- मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण, 03- मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण योजना के मानक मद-49 में रू.377.00 लाख के पुनर्विनियोग के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2402001010300 01 (मृदा सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम) (वेतन)	01	1,95,70,00,000 रुपये एक अरब पचानब्बे करोड़ सत्तर लाख मात्र	3,77,00,000 रुपये तीन करोड़ सतहत्तर लाख मात्र	3,77,00,000 रुपये तीन करोड़ सतहत्तर लाख मात्र	1,91,93,00,000	2022-2023

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2402001010300 (मृदा सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम) (चिकित्सा व्यय)	49 (चिकित्सा व्यय)	1,20,00,000 (एक करोड़ बीस लाख मात्र)	3,77,00,000 रुपये तीन करोड़ सतहत्तर लाख मात्र	4,97,00,000	2022-2023

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें :-

1-स्तम्भ-3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है-1

अ-वास्तविक माँग के आधार पर बचत है।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

ब-विभिन्न मण्डलीय कार्यालयों में उपरोक्त योजना में कार्यरत कार्मिकों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर सं-150 वे-3 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

File No.12-5002(099)/16/2022- -5-

संख्याः आर ई-< > -2022-23, दिनांक- नवंबर, 2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

Signed by अमर चन्द्र
Date: 23-11-2022 14:55:03
Reason: Approved
अनु सचिव

(फूल चन्द यादव)
अनु सचिव
वित्त विभाग।

संख्या : < > / < >, < > दिनांक- नवंबर, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार, (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(अमर चन्द्र)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।